Bharat Rasayan Limited

Regd. Office: 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi - 110008
CIN: L24119DL1989PLC036264
Email: investors.brl@bharatgroup.co.in **Website:** www.bharatgroup.co.in

NOTICE is hereby given, pursuant to Regulations 29 & 47 read with Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, November 11, 2025, inter-alia, to consider and approve the standalone & consolidated un-audited financial results of the Company for the second quarter and six months ended September 30, 2025.

The said Notice may be accessed on the Company's website at **https://www.bharatgroup.co.in** and may also be accessed on the Listed Stock Exchange website at **https://www.nseindia.com.**

Further, the Trading Window of the Company shall remain closed from October 30, 2025 to November 13, 2025 (both days inclusive) for the specified persons in terms of Code of Conduct of the Company to regulate, monitor and report of trading in Company's securities by insiders framed under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

For BHARAT RASAYAN LIMITED
Sd/-
(NIKITA CHADHA)
Company Secretary

New Delhi
October 30, 2025

---

capitalmind
Mutual Fund

Capitalmind Asset Management Private Limited
1st Floor, 2323, Prakash Arcade, 17th Cross Rd
1st Sector HSR Layout
Bengaluru, Karnataka 560102

CIN: U66301KA2024PTC194639
SEBI Reg. No. : MF/084/25/10
Toll Free: 1800 570 5001

NOTICE

Disclosure of Unaudited Half Yearly Financial Results of schemes of Capitalmind Mutual Fund

NOTICE is hereby given to the Investor / Unit holders of all the schemes of Capitalmind Mutual Fund ('the Fund') that in accordance with Regulation 59 of the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996, a soft copy of Unaudited Half Yearly Financial Results of schemes of the Fund for the half year ended September 30, 2025 is hosted on our website www.capitalmindmf.com.

Unit holders can access the Unaudited Half Yearly Financial Results of the Scheme using the link provided below:
https://cm.fund/UnAuditedResults

For Capitalmind Mutual Fund Pvt. Ltd.
Investment Manager (AMC)
Sd/-
Deepak Shenoy
Chief Executive Officer

Date: October 30, 2025

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

I बैंक
Bank
Undertaking
Together We Can

CONSOLIDATED)
R, 2025

(₹ in Crore)

CONSOLIDATED

uarter Ended .09.2024 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2025 (Unaudited)	Half Year Ended 30.09.2024 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
8006.05	83455.25	74971.80	152657.89
5512.51	12658.89	10934.54	23025.02
5512.51	12658.89	10934.54	23025.02
4187.76	8044.98	8255.27	17539.62
Refer Note 2	Refer Note 2	Refer Note 2	Refer Note 2
1814.13	1814.13	1814.13	1814.13
			97152.80
13983.85	13983.85	13983.85	13983.85
88148.68	100654.62	88148.68	93661.92
4.62	10.89	9.10	19.34
4.62	8.87	9.10	19.34
-	-	-	-
-	-	-	-
t Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
t Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

NSE: www.nseindia.com) and

me and Other Comprehensive
licable to the Bank.

SATYANARAYANA RAJU
MD & CEO

Scan for Detailed Financial Results

e.gov.in | **National Cyber Crime Helpline: 1930**

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

HINDUJA HOUSING FINANCE

पंजीकृत कार्यालय: 27 ए, डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई – 600 032, तमिलनाडु
ई मेल: auction@hindujahousingfinance.com

संपर्क सं.: प्रमोद चंद: 99903 38759 | शिवाली सिंह: 8310935857

कब्जा सूचना

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 (2002 का सं. 3) के अंतर्गत हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत आधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवाली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों पर मांग सूचना जारी कर ऋणधारको (इसके बाद ऋणधारको और गारंटर को सामूहिक रूप से "ऋणधारको" कहा गया है) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उन्हें मांग सूचना में वर्णित राशि वापस लौटने का निर्देश दिया था। ऋणधारक इस राशि को वापस लौटने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणधारको को सूचित किया जाता है की आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है की वे नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें और उक्त संपत्ति का किसी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा संविदात्मक दर पर ब्याज और आकस्मिक खर्चों, लागतों, शुल्कों, आदि के लिए हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है

खाता सख्या, उधारकर्ताओं का नाम और पता	कब्जे की तारीख मांग की तारीख और कुल बकाया राशि
1. **DL/DEL/DWND/A000000460;** 1. श्री परानपाल सिंह 2. श्रीमती गुरप्रीत कौर; ए-33 मदर डेयरी के पास, शाम नगर, तिलक नगर एस.ओ., पश्चिमी दिल्ली-110018; संपूर्ण द्वितीय तल छत के अधिकारों सहित, क्षेत्रफल 80 वर्ग गज, खसरा सं. 2023 में निर्मित संपत्ति सं. बी-283, जो गांव तिहाड़ में स्थित है और बी-ब्लॉक, हरि नगर, नई दिल्ली-110064 के नाम से जानी जाती है। सीमाएँ: पूर्वः सड़क, पश्चिमः अन्य संपत्ति संख्या बी-282, उत्तरः सड़क, दक्षिणः संपत्ति संख्या बी-283 का शेष भाग।	28-10-2025 मांग की तारीख और कुल बकाया राशि 21.08.2025 एवं रु. 45,05,732/- 21.08.2025 तक
2. **DL/DLS/DLSD/A000000826;** 1. श्री राशिद राशिद 2. श्रीमती आश्या आश्या 3. श्री हनीफ हनीफ, तिलबेगमपुर बुलंदशहर, मेट्रो, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, भारत 203205; खसरा सं. 599 में से 1305 वर्ग गज क्षेत्रफल का मकान/प्लॉट, जो मोहल्ला प्रताप विहार, कस्बाः दादरी, परगना और तहसीलः दादरी, जिलाः गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमाएँ: पूर्वः विक्रम सिंह का प्लॉट, पश्चिमः जगत सिंह का प्लॉट, उत्तरः 12 फुट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः निर्मल देवी।	27-10-2025 18.06.2025 एवं रु. 14,96,685/- 14.06.2025 तक

स्थानः दिल्ली/यूपी तारीखः 31/10/2025 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी- हिन्दूजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालय: नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई - 600015, तमिलनाडु, भारत,कार्यालय संख्या-101/1,तीसरी मंजिल, हाउसिंग फाइनेंस आर.एस.टावर, मंगल पांडे नगर मेरठ-250004, प्राधिकृत अधिकारी: श्री वर्तुल पंडित, संपर्क नंबर: 9627074548;
ईमेल: vartulpandit.v@hindujahousingfinance.com

निजी संधि के माध्यम से बिक्री की सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफैसी अधिनियम) के तहत एचएचएफएल को सौंपी गई अचल परिसंपत्तियों की बिक्री।

एचएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत अनुसूची संपत्ति का कब्जा ले लिया है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनुसूची में उल्लिखित प्रतिभूत संपत्ति एचएचएफएल को देय राशि की वसूली के लिए सहमत शर्तों के अनुसार निजी संधि के माध्यम से "जहां है जैसा है" और "जैसा है यही है" के आधार पर बिक्री के लिए उपलब्ध है।

निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री के लिए मानक नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. निजी संधि के माध्यम से बिक्री "जहां है जैसा है" और "जैसा है यही है" के आधार पर होगी।
2. क्रेता को संपत्ति की खरीद के लिए एचएचएफएल के प्रस्ताव की स्वीकृति की प्राप्ति के अगले कार्य दिवस पर बिक्री मूल्य का 25% और उसके बाद 15 दिनों के भीतर शेष राशि जमा करनी होगी।
3. क्रेता को आवेदन के साथ प्रस्तावित राशि का 10% जमा करना होगा, जिसे उपरोक्त खंड (2) के अनुसार जमा की जाने वाली 25% राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।
4. उपरोक्त खंड (2) के तहत आवश्यक राशि का भुगतान न करने पर, आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि के 10% सहित पहले से भुगतान की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. एचएचएफएल द्वारा खरीद के प्रस्ताव को स्वीकार न करने की स्थिति में, आवेदन के साथ भुगतान की गई 10% राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
6. संपत्ति को एचएचएफएल को ज्ञात या अज्ञात सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
7. क्रेता को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति (निजी संधि के माध्यम से बिक्री के तहत) से संबंधित सभी पहलुओं पर उचित परिश्रम करना चाहिए। क्रेता बाद की तिथि में इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति ऋणदाता के खिलाफ कोई दावा करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. एचएचएफएल बिना कोई कारण बताए खरीद के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. एक से अधिक प्रस्ताव होने की स्थिति में, एचएचएफएल उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।
10. इच्छुक पार्टियाँ अधिक विवरण/स्पष्टीकरण और अपना आवेदन प्रस्तुंत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकती हैं
11. क्रेता को संपत्ति की खरीद के संबंध में सभी स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क तथा अन्य व्यय, कर, शुल्क वहन करने होंगे।
12. बिक्री सरफैसी अधिनियम/नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

अनुसूची संपत्ति का विवरण (प्रतिभूत परिसंपत्ति) एक आवासीय दो मंजिला मकान नंबर 21, क्षेत्रफल 90 वर्ग गज यानी 75.25 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1006 मी में, मलियाना में स्थित, परगना, तहसील और जिला मेरठ, 1. पूर्व: सड़क 13 फीट चौड़ी 2. पश्चिम: 18 फीट/दूसरे की संपत्ति 3. उत्तर: 45 फीट/देवेंद्र का प्लॉट 4. दक्षिण: 45 फीट/रामानंद का प्लॉट

आरक्षित मूल्य : रु. 9,00,000/- (रुपये नौ लाख मात्र)

स्थानः मेरठ, दिनांक: 31.10.2025, हस्ता/- अधिकृत प्राधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

स्टर्लिंग टूल्स लिमिटेड

STL FASTENERS

सीआईएन नं.: L29222DL1979PLC009668
पंजीकृत कार्यालय: डीजे-1210, 12वीं मंजिल, डीएलएफ टॉवर बी, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110025
कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर 4, डीएलएफ इंडस्ट्रियल एस्टेट, फरीदाबाद-121003
ई-मेल: csec@stlfasteners.com, वेबसाइट: www.stlfasteners.com
टेलीफोन: 91129 2270621-25/फैक्स: 91129 2277359

भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए स्थानांतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने के लिए विशेष विंडो

यह हमारे पूर्व प्रकाशित समाचार पत्र सूचना दिनांक 29 अगस्त, 2025 के क्रम में तथा सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी/पी/सीआईआर/2025/97 दिनांक 2 जुलाई, 2025 के अनुसार सभी शेयरधारकों

Bharat Rasayan Limited

Regd. Office: 1501, Vikram Tower, Rajendra Place, New Delhi - 110008
CIN: L24119DL1989PLC036264
Email: investors.brl@bharatgroup.co.in **Website:** www.bharatgroup.co.in

NOTICE is hereby given, pursuant to Regulations 29 & 47 read with Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, November 11, 2025, inter-alia, to consider and approve the standalone & consolidated un-audited financial results of the Company for the second quarter and six months ended September 30, 2025.

The said Notice may be accessed on the Company's website at **https://www.bharatgroup.co.in** and may also be accessed on the Listed Stock Exchange website at **https://www.nseindia.com.**

Further, the Trading Window of the Company shall remain closed from October 30, 2025 to November 13, 2025 (both days inclusive) for the specified persons in terms of Code of Conduct of the Company to regulate, monitor and report of trading in Company's securities by insiders framed under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

For BHARAT RASAYAN LIMITED
Sd/-
(NIKITA CHADHA)
Company Secretary

New Delhi
October 30, 2025

फॉर्म संख्या 3
[नियम-13 (1)(क) देखें]

ऋण वसूली अधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 1)

2रा तल, एससीओ 33-34-35, सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़

मामला सं: ओए/1223/2025

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2ए) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अंतर्गत समन

एक्ज. सं: 31196

पंजाब नेशनल बैंक
बनाम
प्रशांत जेरथ

सेवा में,
(1) प्रशांत जेरथ
पुत्र/पुत्री/पत्नी: विनोद प्रकाश जेरथ,
मकान सं. 299/300, एलडेको ग्रीन्स, जालंधर, पंजाब-144001
तथा यहाँ भी: 2 बेज एससीएफ सं. 4, सेक्टर 200 चंडीगढ़ 180020, चंडीगढ़, चंडीगढ़ -160020
तथा यहाँ भी: फ्लैट सं. 801-बी, बिल्डिंग सं. 1, ओबेरॉय स्काई हाइट्स, मुंबई, महाराष्ट्र 400053

समन

जैसा कि, ओए/1223/2025 दिनांक 01/10/2025 को माननीय पीठासीन अधिकारी/रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था।

जैसाकि माननीय अधिकरण ने रु. 23,17,728.06/- की ऋण वसूली हेतु दायर किये गये उक्त आवेदन पर सहर्ष समन/सूचना जारी किया है(आवेदन दस्तावेजों आदि की प्रतियों के साथ संलग्न है)।

अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के अनुसार, आपको निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं:-

(i) समन की सेवा की तिथि से तीस (30) दिन के भीतर यह स्पष्ट करें कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थित राहत क्यों न प्रदान की जाए;

(ii) उन संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण दें जो कि आवेदन के मूल प्रपत्र के क्रमांक 3ए में वर्णित संपत्तियों के अतिरिक्त हों;

(iii) जबतक कि संपत्ति की कुर्की का आवेदन लंबित है, आप आवेदन के मूल प्रपत्र के क्रमांक 3ए में वर्णित संपत्तियों या परिसंपत्तियों को बेचने या सौंपने से वंचित रहेंगे;

(iv) आप अधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से, अपने व्यवसाय के सामान्य क्रम को छोड़कर, उन आस्तियों में से किसी को भी हस्तांतरित नहीं करेंगे जिन पर सुरक्षा हित बनाया गया है और/या मूल आवेदन की क्रमांक 3ए के तहत निर्दिष्ट या प्रकट की गई अन्य आस्तियों और संपत्तियों को भी हस्तांतरित नहीं करेंगे;

(v) आप व्यवसाय के सामान्य क्रम में सुरक्षित आस्तियों या अन्य आस्तियों और संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त बिक्री आय का हिसाब देने और ऐसी बिक्री आय को उन बैंक या वित्तीय संस्थानों में रखे गए खाते में जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिनके पास ऐसी आस्तियों पर सुरक्षा हित निर्मित है।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करें और उसकी एक प्रति आवेदक को दें तथा 09/02/2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित हों, अन्यथा आवेदन पर एकपक्षीय रूप से सुनवाई तथा निर्णय किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस अधिकरण की मुहर के साथ दिनांक:08.10.2025 को जारी।

(मुहर) समन जारी करने के लिए अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नोट: जो लागू न हो उसे काट दें।

टाटा कैपिटल लिमिटेड

TATA

पंजीकृत कार्यालय: 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपत राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400013 | शाखा पता: 01वीं मंजिल, एससीओ 4, सेक्टर 16, फरीदाबाद – 121001 और 09वीं मंजिल